Date: 27 **जुलाई** 2023

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

संदर्भ-

- संसद ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया है।

बिल के बारे में-

- यह संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन करना चाहता है।
- **इसमें छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की** सूची में धनुहार, धनुवार, किसान, सौंरा, **सौंरा और बिंझिया** समुदाय शामिल हैं।
- विधेयक में भुइन्या, **भुइयां और भुयान समुदायों** को भरिया भूमिया समुदाय का ही हिस्सा **माने जाने का प्रा**वधान है।
- **विधेयक में पंडो समुदाय के नाम के तीन देव**नागरी संस्करण भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

लक्ष्य-

- **यह छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों के हित में है और** आदिवासी समुदायों का विकास सीधे **राष्ट्र की प्र**गति से जुड़ा हुआ है। इस विधेयक से राज्य के लगभग 72,000 जनजातीय लोगों को लाभ होगा।

किसी समुदाय को एससी, एसटी सूचियों से कैसे जोड़ा या हटाया जाता है?-

- यह प्रक्रिया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश **के स्तर पर शुरू होती है**, जिसमें संबंधित सरकार या **प्रशासन एससी या एसटी** सूची से किसी विशेष समुदाय को जोड़ने या बाहर करने की मांग करता है।
- अंतिम निर्णय **राष्ट्रपति कार्यालय** द्वारा एक अधिसूचना जारी **करने के साथ होता** है जिसमें अनुच्छेद 341 और 342 **से निहित शक्तियों के तहत परिवर्तनों को निर्दिष्ट** किया जाता है।
- अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति **की सूची में किसी समुदाय को शामिल करना या बाहर करना तभी प्रभावी होता** है जब राष्ट्रपति संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले **विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किए जाने के बाद मंजूरी देते हैं।**

प्रक्रिया-

- एक राज्य सरकार अपने विवेक के आधार पर एससी/एसटी की सूची से कुछ समुदायों को जोड़ने या घटाने की सिफारिश करने का विकल्प चुन सकती है।
- इसके बाद, अनुसूचित सूची से किसी भी समुदाय को शामिल करने या हटाने का प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार से केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है।
- इसके बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने स्वयं के विचार-विमर्श के माध्यम से प्रस्ताव की जांच करता है, और इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) को भेजता है।
- एक बार आरजीआई द्वारा अनुमोदित होने के बाद, प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है, जिसके बाद प्रस्ताव को केंद्र सरकार को वापस भेज दिया जाता है, जो अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के बाद इसे अंतिम अनुमोदन के लिए कैबिनेट में पेश करती है।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India- RGI) का कार्यालय किसी भी नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित करने के लिए लोकुर समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाता है।

लोकुर समिति (1965)–

लोकुर समिति (1965) का गठन अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के मानदंड पर विचार करने के लिये किया गया था। अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय के विनिर्देश के लिए वर्तमान में (लोकुर समिति द्वारा निर्धारित) मानदंड हैं:

- आदिम लक्षणों के संकेत,
- विशिष्ट संस्कृति,
- भौगोलिक अलगाव,
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन। हालांकि, इन मानदंडों को संविधान में नहीं बताया गया है।

हालांकि, मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह निर्धारित करने के लिए फुलप्रूफ पैरामीटर तय करना चाहता है कि क्या कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और समुदाय को देय लाभों का हकदार है।

मुद्दे और चिंताएं-

- फरवरी 2014 में जनजातीय मामलों के तत्कालीन सचिव ऋषिकेश पांडा के नेतृत्व में गठित जनजातियों के निर्धारण पर सरकारी टास्क फोर्स ने निष्कर्ष निकाला था कि ये मानदंड "बदलाव और संस्कृतिकरण (transition and acculturation) की प्रक्रिया को देखते हुए अप्रासंगिक हो सकते हैं।
- आदिम और अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने के लिए आदिम विशेषता होना वास्तव में बाहरी लोगों द्वारा स्वयं को उच्च ठहराने की अवधारणा लगती है। समिति ने यह नोट किया कि जिसे हम आदिम मानते हैं, वह स्वयं आदिवासियों द्वारा ऐसा नहीं माना जाता है।
- इसने भौगोलिक अलगाव वाले मानदंड के साथ भी समस्याओं की ओर भी इशारा किया, यह तर्क देते हुए कि देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी है, ऐसे में भला कोई समुदाय अलगाव में कैसे रह सकता है?
- **आरजीआई कार्यालय** के पास इस तरह के निर्णय लेने के लिए पर्याप्त मानवविज्ञानी और समाजशास्त्री नहीं होने के अलावा, इसके लिए डेटा की भी कमी थी, यह देखते हुए कि जनगणना के रिकॉर्ड में विसंगतियां लोकुर समिति के मानदंडों के आधार पर वर्गीकरण के लिए अधिक समस्याएं प्रस्तुत करती हैं।

सरकार का रुख–

- आदिवासी समाज अपने चारित्रिक लक्षणों के आधार पर जीते हैं। ये ऐसे समाज नहीं हैं जो बदलते हैं, लोकुर समिति द्वारा तैयार किए गए मानदंडों पर टिके रहने के महत्व पर जोर देते हैं।

अनुसूचित जनजाति कौन हैं?

- संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि देश में कुछ समुदाय आदिम कृषि प्रथाओं, बुनियादी सुविधाओं की कमी और भौगोलिक अलगाव के कारण अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित थे।

संवैधानिक प्रावधान:-

- **अनुच्छेद 366 (25):** इसमें अनुसूचित जनजातियों को "ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों के भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिये अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है" परिभाषित किया है।
- **अनुच्छेद 342(1):** राष्ट्रपति किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में (राज्य के मामले में राज्यपाल के परामर्श के बाद) उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जनजातियों/जनजातीय समुदायों/जनजातियों/जनजातीय समुदायों के कुछ भागों या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है।
- **पाँचवीं अनुसूची:** यह 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान निर्धारित करती है।
- **छठी अनुसूची:** असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

स्रोत: समाचार ऑन एयर

Rajiv Pandey

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक

पाठ्यक्रम: जीएस 3 / जैव विविधता, संरक्षण

संदर्भ-

- हाल ही में लोकसभा में जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया **जिसका उद्देश्य** जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन **करना है।**

प्रमुख बिन्दु-

- यह विधेयक 16 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया था। यह विधेयक जैविक विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन करेगा।
- बिल को 20 दिसंबर, 2021 को एक संयुक्त समिति में स्थानांतरित कर दिया गया था, इस चिंता के कारण कि संशोधन उद्योग के पक्ष में थे और जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) की भावना का खंडन करते थे।

विधेयक के उद्देश्य-

- गौरतलब है कि यह विधेयक 2002 के जैविक विविधता अधिनियम को संशोधित करता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) के लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की सहायता के लिए लागू किया गया था।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातियों और कमजोर समुदायों को औषधीय वन उत्पादों की आय से लाभ हो।
- कुछ गतिविधियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करके, यह आयुर्वेद के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहित करता है। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा चिकित्सकों, बीज क्षेत्र, उद्योग और शोधकर्ताओं द्वारा शिकायतें थीं कि अधिनियम ने भारी "अनुपालन बोझ" लगाया है।

विधेयक के तहत प्रावधान:

जंगली औषधीय पौधे:-

- यह औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करके जंगली औषधीय पौधों पर दबाव को कम करना चाहता है;
- बिल यह विनियमित करने पर केंद्रित है कि जैविक संसाधनों और ज्ञान तक कौन पहुंच सकता है और पहुंच की निगरानी कैसे की जाएगी।

आयुष चिकित्सक:-

- यह आयुष चिकित्सकों को जैविक संसाधनों या ज्ञान तक पहुंचने के लिए जैव विविधता बोर्डों को डराने से छूट देता है।

शोध:-

- यह अनुसंधान के फास्ट-ट्रैक की सुविधा प्रदान करता है, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।

अपराध:-

- जैविक संसाधनों तक पहुंच और समुदायों के साथ लाभ-साझाकरण से संबंधित कानून के उल्लंघन, जिन्हें वर्तमान में आपराधिक अपराध माना जाता है और गैर-जमानती हैं, को नागरिक अपराध के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया है।

निवेश:-

- राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना जैविक संसाधनों, अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग में अधिक विदेशी निवेश लाना।

विधेयक के बारे में क्या चिंताएं व्यक्त की गई हैं?

- लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट (लाइफ) जैसे पर्यावरण संगठनों ने कहा है कि संशोधन आयुष फर्मों को "पूरी तरह से लाभ" पहुंचाने के लिए किए गए थे और इससे "बायो पाइरेसी" का मार्ग प्रशस्त होगा।
- विधेयक अधिनियम के तहत कई अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और उन्हें मौद्रिक दंड के साथ प्रतिस्थापित करता है।
- संशोधन विधेयक का विश्लेषण करने के लिए दिसंबर 2021 में गठित संयुक्त संसदीय समिति के एक सदस्य ने कहा कि ये छूट कानून के दुरुपयोग कर सकती हैं।
- सीएसई और डाउन टू अर्थ पत्रिका के एक विश्लेषण में कंपनियों और व्यापारियों से पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों के उपयोग से लाभ साझा करने के लिए प्राप्त धन पर डेटा की कमी जैसी गंभीर कमियां दिखाई दीं।

आगे का रास्ता-

- विधेयक के प्रावधानों पर गहन चर्चा की जानी चाहिए।
- विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है।

अन्य पहल-

जैव विविधता अधिनियम, 2002

- यह अधिनियम जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीबीडी), 1992 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पेश किया गया था।
- यह जैविक संसाधनों तक पहुंच और सतत उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को साझा करने के **लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।** यह **एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुरूप है।**
- अधिनियम के तहत कोई भी अपराध **संज्ञेय और गैर-जमानती है।**
- इस अधिनियम ने **जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए** एक तीन-स्तरीय संरचना की परिकल्पना किया गया।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)

- यह **भारत के जैव विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए 2003 में स्थापित** एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारत सरकार को " संरक्षण , जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे के मुद्दों पर एक सुविधा, विनियमन और सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
- **यह अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 में उल्लिखित किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए** अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा अनुरोधों पर विचार करता है।
- **मुख्यालय:** चेन्नई, तमिलनाडु।

राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB)

- यह अधिनियम की धारा 22 के तहत स्थापित किए गए हैं और जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और इससे उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश के अधीन राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- एसबीबी भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के अनुरोधों पर अनुमोदन प्रदान करके विनियमित भी करते हैं।

जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC)

- जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार, पूरे देश में स्थानीय निकायों को जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ गठित करनी हैं।
- इन समितियों का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण एवं सतत उपयोग को बढ़ावा देना तथा उसका अभिलेखीकरण करना है।
- भारतीय जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के पारंपरिक उपयोग
- केंद्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं में किया जाता है।

स्रोत: TH

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com